

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.3(54)नविवि/3/2011पार्ट

जयपुर, दिनांक: 26.11.2012

1. संभागीय आयुक्त, समस्त (राजस्थान)।
2. जिला कलेक्टर, समस्त (राजस्थान)।
3. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त (राजस्थान)।
5. मुख्य नगरपालिक अधिकारी समस्त नगरपालिका/नगर परिषद्।

विषय:- "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" के संबंध में दिनांक 24.11.2012 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मार्गदर्शन हेतु उठाये गये बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण जारी करने बाबत।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 24.11.2012 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के दौरान जिला कलेक्टरस द्वारा कुछ बिन्दुओं पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन चाहा गया था। इस संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/दिशा-निर्देश निम्न प्रकार से जारी किये जाते हैं :-

क्र. सं.	विषय	स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन
1.	राजस्व अभिलेखों में गैर मुमकिन जंगल/अभ्यारण्य किस्म की भूमि पर आबादी /कच्ची बस्ती बसी है। भूमि नगरीय निकाय के नाम अंकित है। आम जनता द्वारा पट्टे जारी करने की मांग की जा रही है।	गैर मुमकिन जंगल/अभ्यारण्य किस्म की भूमि पर आबादी बसी है, तो इन भूमियों पर बसी कॉलोनीयों के नियमन से पूर्व भूमि के डाईवर्जन के लिए प्रस्ताव जिला वन अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार में वन विभाग के नोडल अधिकारी को भिजवाया जावें। उक्त प्रस्ताव में समान क्षेत्रफल की भूमि वन विभाग को दिये जाने का प्रस्ताव भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
2.	आरएपीपी रावतभाटा की अवाप्त शुदा भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनी नया बाजार का नियमन प्रशासन शहरों के संग अभियान की मंत्रीमण्डल आज्ञा के बिन्दु संख्या 21 के अनुरूप किये जाने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी जावे।	राज्य सरकार के किसी विभाग की (रिको को छोड़ कर) या नगरीय निकाय द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर बसी कॉलोनी का नियमन किया जा सकता है लेकिन केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के संगठन की अवाप्तशुदा भूमि पर बसी कॉलोनी का नियमन नहीं किया जा सकेगा।
3.	विभिन्न नगरीय निकायों में अभियान अवधि में जारी किये जाने वाले पट्टों के पंजीयन हेतु अधिशाषी अधिकारी की उपपंजीयक कार्यालय में व्यवस्था: उपस्थिति में शिथिलन देने बाबत	इस विषय में महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्राक विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने हेत पत्र लिख दिया गया है। प्रति संलग्न है

4.	जिला कलेक्टर चुरु ने जिला मुख्यालय पर अभियान के दौरान जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों की कैम्प स्थल पर उपस्थिति को अनिवार्य बताया।	जिला कलेक्टर अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार व्यवस्था करें।
5.	अभियान में दिये जाने वाले पट्टों के नियमन शुल्क जमा कराने हेतु बैंक ऋण सुलभ कराने के क्रम में तकनीकी अनुमोदन उपरान्त ऋण स्वीकृत किये जाने के निर्देश बैंक प्रबंधकों को दिये जाने अपेक्षित है।	जिला कलेक्टर अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर और जिला मार्गदर्शी बैंक अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक व्यवस्था करें।
6.	बीकानेर के ग्राम रिडमलसर में राजस्व मानचित्र के अभाव में सुपरइम्पोजीशन की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पा रही है।	विभागीय परिपत्र दिनांक 17.10.2012 में स्पष्ट निर्देश दिये हुये हैं कि जिन राजस्व ग्रामों के खसरा मानचित्र उपलब्ध नहीं है वहां मौके की स्थिति के अनुसार ले-आउट प्लान अनुमोदित कर नियमन की कार्यवाही की जावे।
7.	ले-आउट प्लान अनुमोदन समय पर नहीं हो पा रहा है	राज्य सरकार द्वारा ले-आउट प्लान के अनुमोदन की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए दिनांक 08.11.2012 को आदेश जारी कर ले-आउट प्लान अनुमोदन समितियों का प्राधिकरण में जोन स्तर तथा न्यास में न्यास स्तर पर गठन किया गया है। आदेशों में संबंधित उपायुक्त अथवा सचिव, उप सचिव एवं उपलब्ध नगर नियोजक अथवा अभियन्ता के हस्ताक्षर से ले-आउट प्लान जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। नगर परिषद्/पालिका के लिए विभागीय आदेश दिनांक 21.06.2012 के अनुसार स्थानीय स्तर पर समिति गठित की हुयी है ले-आउट प्लान समिति की बैठक में यदि संबंधित नगर नियोजक उपस्थिति नहीं हो पाये तो उनकी लिखित स्वीकृति मान्य होगी तथा ले-आउट प्लान पर आयुक्त/अधिक्षापी अधिकारी तथा सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किये गये है।
8.	भू-उपयोग परिवर्तन स्थानीय स्तर पर किये जाने की शक्तियों के संबंध में।	राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय स्थानीय स्तरीय समिति द्वारा किये जाने के जो निर्देश दिये गये हैं वे केवल 17.06.1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी कॉलोनीयों के लिए ही लागू है।
9.	सिवाय चक भूमियों को नगरीय निकायों को हस्तान्तरण बाबत राजस्व विभाग का परिपत्र 08.12.2010 की जानकारी बाबत।	सभी जिला कलेक्टर एवं अन्य संबंधित को पत्र दिनांक 26.11.2012 द्वारा परिपत्र दिनांक 08.12.2010 की प्रति प्रेषित कर परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा जा चुका है।

भवदीय,


(आर०के०पारीक)

उप शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि : निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।


उप शासन सचिव-द्वितीय